निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 538) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2016

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सं0 17–तक0को0–12/2016—1124

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 17 जून 2016

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के दौरान अधिकार अभिलेख के निर्माण में पुत्र के नाम के साथ पुत्रियों के नाम की प्रविष्टि कर खाता खोलने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 आलोक में संचालित सर्वेक्षण कार्यो के अंतर्गत वंशावली निर्माण में पुत्र के साथ पुत्रियों का नाम दर्ज करने के बिन्दु पर विधि विभाग द्वारा निम्नलिखित मंतव्य का निरूपण किया गया है :–

''हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा – 6 में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया, जो निम्न प्रकार है''

''सहदायिकी सम्पत्ति में हित का न्यायगमन – (1) हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से और प्रारंभ पर मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिन्दु परिवार में सहदायिक की पुत्री –

(क) ठीक पुत्र की तरह से अपने अधिकार में जन्मतः सहदायिक हो जायेगी;

(ख) उसे सहदायिकी सम्पत्ति के संबंध में वही अधिकार होगा, जो उसे होता, यदि वह पुत्र रही होती;

(ग) उक्त सहदायिक सम्पत्ति के संबंध में उसी दायित्व के अधीन होगी, जैसे कि पुत्र।

और हिन्दु मिताक्षरा सहदायिकी के किसी निर्देश को सहदायिक की पुत्री को निर्देश सम्मिलित हुआ समझा जाएगा।

परन्तुक इस उप–धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात 20 दिसम्बर, 2004 के पूर्व की गयी किसी व्ययन या समनुदेशन को, जिसमें कोई विभाजन या नसीयती व्ययन सम्मिलित है, प्रभाव नहीं डालेगी या अविधिमान्य नहीं करेगी''।

उल्लेखनीय है कि हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा – 6 स्वयं में स्पष्ट है। धारा – 6 के परन्तुक से स्पष्ट है कि 20 दिसम्बर, 2004 के पूर्व किसी व्ययन या समनुदेशन को, जिसमें कोई विभाजन या बसीयत व्ययन सम्मलित है, प्रभाव नहीं डालेगी या अविधि मान्य नहीं करेगी।

उपरोक्त स्थिति में हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा – 6 के आलोक में हिन्दु मिताक्षरा परिवार के वंशावली में पुत्रों के साथ–साथ पुत्रियों का भी नाम अंकित करना उचित प्रतीत होता है।''

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के दौरान वंशावली के निर्माण में विधि विभाग द्वारा प्राप्त मंतव्य एवं हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा – 6 के आलोक में पुत्रों के नाम के साथ–साथ पुत्रियों के नाम को भी अंकित कराना सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 538–571+10–डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in